

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना।

प०सं०-14/डी०एल०ए०, (भारत-नेपाल सीमा पथ)-सीतामढ़ी-204/2013-...../रा०, पटना-15, दिनांक-...../...../2013

अधिसूचना

संख्या-14/डी०एल०ए०, सीतामढ़ी - 2857 /रा०, पटना, दिनांक-10-12-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- मुरहाडीह, थाना नं०-03, जिला-सीतामढ़ी, परगना - सोनवरसा, अंचल-सोनवरसा, थाना- सोनवरसा, जिला-सीतामढ़ी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् भारत-नेपाल सीमा पथ निर्माण के लिये सरकारी जमीन पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचना किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- मुरहाडीह के अन्दर 15.78109 एकड़ भूमि अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश बी०/क०/धूर है, जो 15.78109 एकड़ के बराबर होता है जिसके खेपरा संख्या निम्नांकित है:-


खेपरासंख्या:- 1148अं०, 1152^{अं०}, 1153अं०, 1149अं०, 1150अं०, 1151अं०, 1154अं०, 1155अं०, 1156अं०, 1157अं०, 1158अं०, 1160अं०, 1162अं०, 1163अं०, 1172अं०, 1168अं०, 1164अं०, 1167अं०, 1166अं०, 1171अं०, 1172अं०, 1173अं०, 1182अं०, 1181अं०, 1184अं०, 1186अं०, 1179अं०, 1187अं०, 1188अं०, 1225अं०, 1227अं०, 1229अं०, 1231अं०, 1516अं०, 1515अं०, 1514अं०, 1513अं०, 1512अं०, 1511अं०, 1510अं०, 1542अं०, 1546अं०, 1483अं०, 1484अं०, 1481अं०, 1466अं०, 1468अं०, 1467अं०, 1597अं०, 1601अं०, 1600अं०, 1605अं०, 1598अं०, 1606अं०, 1605अं०, 893अं०, 892अं०, 865अं०, 866अं०, 888अं०, 887अं०, 886अं०, 867अं०, 889अं०, 888अं०, 880अं०, 878अं०, 877अं०, 849अं०, 830अं०, 847अं०, 833अं०, 842अं०, 841पूर्ण, 840अं०, 838अं०, 834अं०, 837अं०, 1476अं०, 1165अं०, [.....]

इसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

चौहद्दी	ग्राम- मुरहाडीह, थाना नं०-03
उत्तर	1148अं०, 1149अं०, 1150अं०, 1156अं०, 1157अं०, 1158अं०, 1160अं०, 1162अं०, 1772अं०, 1167अं०, 1171अं०, 1183अं०, 1182अं०, 1184अं०, 1186अं०, 1187अं०, 1179अं०, 1188अं०, 1227अं०, 1225अं०, 1228अं०, 1229अं०, 1231अं०, 1234, 1232, 1515अं०, 1513अं०, 1512अं०, 1511अं०, 1507अं०, 1546अं०, 1485अं०, 1484अं०, 1483अं०, 1482अं०, 1481अं०, 1466अं०, 1467अं०, 1597अं०, 1601अं०, 1600अं०, 1605अं०, 1606अं०, 1449अं०, 893अं०, 892अं०, 891, 866अं०, 888अं०, 887अं०, 886अं०, 885अं०, 880अं०, 878अं०, 877अं०, 830अं०, 833अं०, 840अं०, 834अं०, 837अं०, 837अं०
दक्षिण	1153अं०, 1154अं०, 1151अं०, 1155अं०, 1157अं०, 1160अं०, 1163अं०, 1164अं०, 1165, 1168अं०, 1167अं०, 1172अं०, 1172अं०, 1181अं०, 1180अं०, 1186अं०, 1179अं०, 1188अं०, 1226अं०, 1228अं०, 1229अं०, 1231अं०, 1516अं०, 1514अं०, 1511अं०, 1542अं०, 1546अं०, 1476अं०, 1482अं०, 1483अं०, 1481अं०, 1480अं०, 1468अं०, 1467अं०, 1597अं०, 1598अं०, 1599अं०, 1606अं०, 1605अं०, 892अं०, 865अं०, 866अं०, 867अं०, 886अं०, 885अं०, 879अं०, 878अं०, 877अं०, 849अं०, 847अं०, 842अं०, 838अं०, 839अं०, 837 अंश।
पूरव	पूरव सिमान ईटहरबा दुलारपुर

यह अधिसूचना अधिनियम-1,1894(बिहार अधिनियम-11,1961 द्वारा यथा संशोधित) की धारा-4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि कुल-3.00 एकड़ भूमि कृषि योग्य तथा उसका तुरन्त अर्जन आवश्यक है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (ए) अंश के उपबंध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।



बिहार राज्यपाल के आदेश से,

६०

सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-15/डी०एल०ए०, सीतामढ़ी / - 2857/रा०,पटना, दिनांक-10-12-13

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सी०डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी को अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।